न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2022 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा –प्रार्थी	**बनाम**	1. लक्ष्मण पिता मांगू भील निवासी रायरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17(4) कमाण्ड क्षैत्र में आवंटन निरस्तीकरण बाबत्

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित – एक तरफा कार्यवाही के आदेश

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की आ.न. 2094/483 रकबा 0.90 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की आ.न. 2094/483 कुल रकबा 0.90 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा